प्रश्न सं. [क्र. 1556]

1/3

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक 19.12.2024

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1556 माननीय विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार

माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण

1. पत्र क्रमांक 042/व्ही.आई.पी./2024 दिनांक 13.01.2024

कार्यवाही/जानकारीः-संसदीय क्षेत्र रतलाम के अंतर्गत रतलाम जिले की रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र, सैलाना विधानसभा क्षेत्र तथा झाबुआ जिले की झाबुआ विधानसभा क्षेत्र, थांदला विधानसभा क्षेत्र, पेटलावद विधानसभा क्षेत्र एवं अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र एवं जोबट विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की विद्युत प्रदाय 11 के.व्ही. के 235, गैर कृषि फीडरों, 331 कृषि फीडरों एवं 183 मिश्रित श्रेणी के फीडरों से विद्युत प्रदाय दिया जा रहा हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त क्षेत्रांतर्गत अपरिहार्य कारणों से आये आकस्मिक अवरोधों को छोड़कर गैर कृषि प्रयोजन हेतु 24 घंटे तथा कृषि प्रयोजन हेतु 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य मितव्यता की दृष्टि से एवं तत्समय तकनीकी/वित्तीय रूप से साध्य नहीं होने के कारण पूर्व में नहीं किया जा सका था, उक्त क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत अद्योसंरचना यथा मिश्रित फीडरों के द्वारा अपरिहार्य कारणों से आये आकस्मिक अवरोधों को छोडकर 14 घंटे सिंगल फेस तथा 10 घंटे थ्री फेस विद्युत प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

संसदीय क्षेत्र रतलाम के अंतर्गत शेष बचे 11 के.व्ही. के 183 मिक्स फीडरों में से 56 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य वर्तमान में आर.डी.एस.एस. योजना में सम्मिलित किया गया हैं तथा कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान में 11 के.व्ही. के शेष 127 मिक्स फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य तकनीकी एवं वितीय रूप से असाध्य हैं।

माननीय प्रश्नकर्ता महोदय के विधानसभा क्षेत्र सैलाना में 11 के.व्ही. के 15 गैर कृषि, 14 कृषि तथा 29 मिश्रित श्रेणी के फीडरों से विद्युत प्रदाय किया जा रहा हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार समस्त विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अपरिहार्य कारणों से आये आकस्मिक अवरोधों को छोडकर गैर कृषि प्रयोजन हेतु 24 घंटे तथा कृषि श्रेणी प्रयोजन हेतु 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य मितव्यता की दृष्टि से एंवं तत्समय तकनीकी रुप से साध्य नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था, उक्त क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत अधोसंरचना के माध्यम से मिश्रित फीडर के द्वारा अपरिहार्य कारणों से आये

निरन्तर.........

आकस्मिक अवरोधों को छोडकर 14 घंटे सिंगल फेस तथा कृषि प्रयोजन हेतु 10 घंटे थ्री फेस विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अतः किसानों की फसल सूखने संबंधी तथा सिंचाई कार्य में असुविधा संबंधी कोई समस्या नहीं है।

सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शेष बचे 11 के.व्ही. के 29 मिक्स फीडरों में से 09 फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य को वर्तमान में आर.डी.एस.एस. योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष 11 के.व्ही. के 20 मिक्स फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य तकनीकी एवं वित्तीय रूप से असाध्य है।

सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों के भार की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि हेतु 28 वितरण ट्रांसफार्मर एस.एस.टी.डी. योजना के तहत स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 16 वितरण ट्रांसफार्मर के क्षमतावृद्धि के कार्य पूर्ण कर दिये गये है शेष 12 वितरण ट्रांसफार्मर का कार्य प्रगति पर है। साथ ही अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों का भार कम करने हेतु 27 नवीन अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने हेतु एस.एस.टी.डी. एवं आर.डी.एस.एस. योजना के तहत स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 21 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके है शेष 06 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है।

2. <u>पत्र क्रमांक **513/व्ही.आई.पी./2024 दिनांक 06.06.2024**</u> - शत-प्रतिशत फीडर सेपरेशन संबंधित कार्यों की स्थिति बिन्दु क्रमांक -1 में समाहित की गई है।

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर का रखरखाव मैदानी स्तर पर किया जाता है तथा वितरण ट्रांसफार्मर में आईल बदलने संबंधी कार्यवाही भी की जाती है ।

जिला रतलाम के अंतर्गत स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों के भार की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। प्रणाली सुदृढीकरण योजना के तहत क्षमता वृद्धि हेतु 25 के.वी.ए. से 63 के.वी.ए. के 97 वितरण ट्रांसफार्मर एवं 63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. के 97 वितरण ट्रांसफार्मर तथा 100 के.वी.ए. क्षमता के 10 नवीन अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्वीकृत किये गये हैं जिनका कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत रतलाम जिले मे कुल 449 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर के कार्य स्वीकृत किये गये है; जिनमे से 359 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर के स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। शेष कार्य प्रगति पर है।

जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर अंतर्गत प्रणाली सुदृढीकरण योजना में क्षमतावृद्धि कार्य, 25 के.वी.ए. से 63 के.वी.ए. के 77 वितरण ट्रांसफार्मर एवं 63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. के 77

निरन्तर.........

वितरण ट्रांसफार्मर तथा 100 के.वी.ए. क्षमता के 10 नवीन अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्वीकृत किये गये है, जिनका कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में कुल 907 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर के कार्य स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है।

3. <u>पत्र क्रमांक 1560/व्ही.पी.आई./ 2024दिनांक 04.11.2024 एवं पत्र क्रमांक 1559/व्ही.आई.पी. /2024 दिनांक 04.11.2024</u>-

<u>जानकारीः</u>-माननीय प्रश्नकर्ता महोदय के विधानसभा क्षेत्र सैलाना के वितरण केन्द्र सैलाना, रावटी एवं बाजना में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि 3.15 एम.वी.ए. से 5 एम.वी.ए. तथा 5 एम.वी.ए. से 10 एम.वी.ए. क्षमतावृद्धि किये जाने की समीक्षा की गई एवं तकनीकी रुप से साध्य पाये जाने तथा वित्तीय उपलब्धता होने पर वितरण केन्द्र सैलाना अंतर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र करीया में 3.15 का 01 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य एस.एस.टी.डी. योजना के तहत पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्य प्रगतिरत है। साथ ही सैलाना वितरण केन्द्र में नवीन 5 एम.वी.ए. 33/11 केव्ही उपकेन्द्र भाटखेडी का कार्य आर.डी.एस.एस. योजना के तहत पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्य प्रगतिरत है।

साथ ही कोटडा तथा शिवगढ़ उपकेन्द्र पर एक-एक 1500 के.वी.ए.आर. के केपिसटर बैंक के स्थापना का कार्य आर.डी.एस.एस. योजना के तहत स्वीकृत कर पूर्ण कर दिया गया है।

वितरण केन्द्र रावटी अंतर्गत खेतलपुर उपकेन्द्र में 5 एम.वी.ए. से 8 एम.वी.ए. का 01 पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है। साथ ही रावटी वितरण केन्द्र में नवीन 5 एम.वी.ए. 33/11 केव्ही उपकेन्द्र उमरहरथल का कार्य एस.एस.टी.डी. योजना में पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है जिसका कार्य प्रगतिरत है एवं साथ ही नवीन 5 एम.वी.ए. 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र नायन का कार्य आर.डी.एस.एस. योजना में पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है।

साथ ही रानीसिंह उपकेन्द्र पर एक नग 1500 के.वी.ए.आर. के केपिसटर बैंक के स्थापना का कार्य आर.डी.एस.एस. योजना के तहत स्वीकृत कर पूर्ण कर दिया गया है

वितरण केन्द्र बाजना अंतर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र बाजना में 5 एम.वी.ए. का 01 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य एस.एस.टी.डी. योजना में पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त वितरण केन्द्र सैलाना, रावटी एवं बाजना अंतर्गत पत्र में उल्लेखित 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों के अंतर्गत स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि हेतु साध्यता परीक्षण तकनीकी रुप से किया जा रहा है, जो कि प्रकियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल